Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

[L.D. Appeal Case No.-75/2024]

Dinesh Soren & Ors.....Appellants.

Versus

Pancham Kumar Sah.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	28.2.2026	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-36/2022-23 में दिनांक-25.3.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-	

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
बनमनखी	रसाढ़/	219	1705	83 डी.
	54	219	1705	42 डी.

दिनांक 05.2.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन उनके दादा भईया मांझी पिता- सुखू मांझी के नाम से सिकमी बटाईदार के रूप में दर्ज है। जिसके आधार पर उनका प्रश्नगत जमीन पर खास आवासीय कब्जा है। तथा यह कि विपक्षी के द्वारा गलत कागजातों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर दावा किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि उनके पूर्वज द्वारा विपक्षी के नाम से किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज का निबंधन नहीं किया गया है। जबकि विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन का क्रय उनके द्वारा दो अलग-अलग केवाला दिनांक-03.6.1971 एवं दिनांक-28.10.1971 के माध्यम से किया गया है। जिसके उपरान्त प्रश्नगत जमीन पर उनका दखल-कब्जा रहा। तथा यह कि प्रश्नगत जमीन पर नामान्तरण के पश्चात वे सरकार को मालगुजारी देते आ रहे हैं। अतः विपक्षी द्वारा इस अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि विपक्षी के द्वारा दो केवाला के आधार पर प्रश्नगत जमीन का क्रय वर्ष 1971 में किया गया। जिसके उपरान्त उनके नाम से जमाबंदी सं.-1321 कायम हुआ। एवं वर्ष 2023-24 तक लगान का भुगतान किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा उनके वाद पत्र की कंडिका-G में प्रश्नगत जमीन को उनके पूर्वज भईया मांझी के द्वारा कभी भी केवाला के आधार पर विपक्षी के पिता को बिक्री/निबंधित नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है। परन्तु विपक्षी द्वारा उपस्थापित उक्त केवाला प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि विपक्षी के पिता को अपीलार्थी के पूर्वज भईया मांझी के द्वारा प्रश्नगत जमीन का विक्रय किया गया। इस प्रकार प्रश्नगत जमीन पर अपीलार्थी द्वारा किये

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

	28.2.2026	जा रहे दावे को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा विपक्षी के उक्त केवाला के फर्जी एवं गलत होने के उनके दावे को प्रमाणित करने हेतु कोई संगत साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी अपने Case को establish करने में विफल रहे हैं। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। 28/2/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। 28/2/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	